कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / ए–बी / एसीपी / निर्देश / 2019 / 20 दिनांक: 23/4/19

समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समस्त ब्लॉक

विषय :– एसीपी आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व चैक लिस्ट अनुसार जॉच के संबंध मे।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत लोक सेवकों के एसीपी आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व संलग्न चैक लिस्ट अनुसार वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए लेखाकर्मी से सेवाभिलेखों से पूर्ण जॉच करवाकर टिप्पणी सहित भिजवावें। चैक लिस्ट अनुसार आवेदन पत्र नहीं होने तथा गलत प्रस्ताव की स्थिति में प्रकरण पर विचार नहीं करते हुए वापिस लौटा दिया जायेगा।

संलग्नः–चैक लिस्ट

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

एसीपी आवेदन पत्र की चैक लिस्ट

1. आवेदन पत्र तथा सीबीईओ द्वारा भरी जाने वाली चैक लिस्ट के सभी कॉलम की पूर्ति तथा कार्यालयाध्यक्ष (सीबीईओ) के प्रमाण–पत्र के समस्त बिन्दुओं की पूर्ति
2. प्रस्तावित एसीपी लेखाकर्मी द्वारा पूर्ण परीक्षण (सेवाभिलेख से) कर स्पष्ट अभिमत सहित।
3. यदि एसीपी छः माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है तो विलम्ब का औचित्य पूर्ण ठोस कारण।
4. आवेदित एसीपी जिस पद से चाही जा रही है उस पद का :– 1–मूल नियमित नियुक्ति आदेश, 2–पदस्थापन आदेश, 3–स्थाईकरण आदेश 4–चयनित एवं वरिष्ठ वेतनमान आदेशों की सुपाठ्य प्रतियां तथा सम्पति घोषणा–पत्र नवीन प्रपत्र अ–ब में।
5. तदर्थ, पातेय वेतन, डीपीसी से पदोन्नत चयनित आदेशों की प्रतियां तथा पदस्थापन आदेशों की प्रतियां।
6. संतान घोषणा–पत्र मूल में आवेदन पत्र में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में (बच्चों के नाम ऊपर व नीचे दोनो जगहों पर) अंकित कर स्व प्रमाणित करावें।
7. एसीपी हेतु प्रस्तावित की गई ग्रेड–पे /पे–मैट्रिक लेवल की जॉच कर भिजवावें।
8. नियुक्ति से अब तक पदोन्नति की परित्याग नहीं किया है, का प्रमाण– पत्र।
9. एसीपी स्वीकृति उपरान्त प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन नियतन के समय 26–ए का लाभ नहीं दिया गया है का प्रमाण–पत्र तथा **वेतन नियतन आदेश की प्रति संलग्न करावें।**
10. दिनांक 01.07.13 को दिया गया वेतन एवं ग्रेड–पे स्थिति।
11. पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 में किये गये वेतन निर्धारण आदेश की प्रति।
12. आवेदन पत्र एक प्रति में तथा संलग्न आदेशों की एक–एक स्वप्रमाणित प्रतियां ही भेजें।
13. प्रस्तावित एसीपी से पूर्व यदि वसूली अपेक्षित है तो वसूली राशि जमा कर सेवा पुस्तिका में इन्द्राज के पश्चात ही प्रकरण भिजवावें।
14. नाम/जन्मतिथि अथवा अन्य कोई संशोधन हुआ है तो उसकी प्रतियां।
15. आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाऐं/परीक्षा परिणाम की प्रतियां तथ एपीएआर संलग्न कर नहीं भिजवावें तथा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि कार्मिक की एपीएआर यथासमय उच्चाधिकारियों को भिजवाई जा चुकी है।
16. प्रकरण के साथ उक्त समस्त संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों हेतु चैक लिस्ट में ही पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए आवेदन पत्र के ऊपर संलग्न करें।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समस्त पूर्तियां/जॉच कर ली गई है।

हस्ताक्षर नियंत्रण अधिकारी (मय मोहर)

–0–